ओपीराम बनाम पवन कुमार मु.नं. 48/18

दिनांक	आज्ञा पत्र
17.1.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 20.2.25 को पेश हो।
20.2.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 5.3.25 को पेश हो।
5.3.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.4.25 को पेश हो।
3.4.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाद बहस दिनांक 2.5.25 को पेश हो।
2.5.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली बाद आदेश दिनांक 5.5.25 को पेश हो।
5.5.25	पत्रावली पेश । अपील अपीलांट......स्वीकार......की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन ... सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 48/2018

1 गोपीराम पुत्र दुलाराम जाति जाट निवासी सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 पवन कुमार पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद
2 विधा देवी पुत्री स्व. दुर्गाप्रसाद समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बिरानिया तहसील फतेहपुर जिन्होंने वादपत्र में गलत रूप से पता पेश किया है कि समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर।
3 गिरधारी पुत्र स्व. बिरजा
4 चुकी देवी पत्नी स्व. भागीरथ
5 सांवरमल पुत्र स्व. भागीरथ
6 बनवारीलाल पुत्र स्व. भागीरथ
7 संतोष पुत्री स्व. भागीरथ
8 शारदा पुत्री स्व. भागीरथ
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर।
9 उपपंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर राज.।
10 हल्का पटवारी सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर।
11 तहसीलदार धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय द्वितीय सीकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 55/2013 बउनवानी पवन कुमार आदि बनाम गोपीराम आदि दिनांकित 06.04.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भीमसिंह रूहेला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 55/2013 में पारित निर्णय दिनांक 06.04.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक संसोधित आवेदन अ.धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर 574, 629, पुराना खसरा संख्या 278, 274/2, 266 वाके ग्राम सांवलोदा धायलान का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधी निर्णय से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन में जारी स्थगन आदेश दिनांक 14.06.2013 को मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजो का सही विवेचन, विश्लेषण एंव मूल्यांकन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित करके अपीलान्ट को बिना किसी आधार के अपनी भूमि को बेचान करने हेतु पाबंद कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अपीलान्ट के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 574 अपीलान्ट के ही हक, आधिपत्य की होना पत्रावली के समस्त पक्षकारान मान्य करते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उसके हक, हिस्से की भूमि को विक्रय के अधिकार से वंचित करके कानूनी भूल की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का सही रूप से पृथक–पृथक विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कारण व आधारों का उल्लेख नहीं किया गया है, आदेश स्पीकिंग नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मात्र इस आधार पर पारित किये जाने में भी भारी कानूनी भूल की गई है कि मूल रूप से वाद में विरासत नामान्तकरण में राजस्व रिकार्ड से वर्णित हक की भूमि की उदघोषणा चाहने व बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिसमें सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण की ही होती है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 574 रकबा 1.88 हैक्टेयर तन ग्राम सांवलोदा धायलान तहसील धोद जिला सीकर को अंतरण नहीं करने की सीमा तक निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत कर तादौराने वाद खसरा नम्बर 629, 574 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। विवादित भूमियों पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद अप्रार्थीगण अपीलांट को विवादित भूमि के अंतरण नहीं करने के लिए पाबंद किया है। विचारण न्यायालय के इस आदेश से किसी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अंतरण करने के स्थगन को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। इससे पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता होगी। विचारण न्यायालय ने वाद के निर्णय तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं होने एवं भूमि खुर्द बुर्द नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत कर तादौराने वाद खसरा नम्बर 629, 574 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। विवादित भूमियों पर रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद अप्रार्थीगण अपीलांट को विवादित भूमि के अंतरण नहीं करने के लिए पाबंद किया है। विचारण न्यायालय के इस आदेश से किसी पक्षकार के हित प्रभावित नहीं होते है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अंतरण करने के स्थगन को अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। इससे पक्षकारों के मध्य वाद बाहुल्यता होगी। विचारण न्यायालय ने वाद के निर्णय तक पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं होने एवं भूमि खुर्द बुर्द नहीं होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्धन अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर